न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 108/2017

धारा सिंह पुत्र नत्थासिंह जाति बावरी निवासी तख्तहजारा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट

बनाम

1. सुधीर कुमार पुत्र चेतराम जाति सांसी निवासी 4 के .एल.एम. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू—राजस्व अधि. 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी घडसाना दिनांक 23.10.2017

उपस्थिति—

श्री प्रेमप्रकाश मक्कड, अभिभाषक अपीलांट

श्री तेजासिंह अभिभाषक रेस्पों. सं. 1

श्री महावीर धारणीयां, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक— 08.07.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पों. ने उपखण्ड अधिकारी घडसाना के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश कर कथन कि अप्रार्थी धारा सिंह पुत्र नत्थाराम जाति बावरी के नाम से दर्ज भूमि चक 2 एस.जे.एम.—बी के मु.नं. 76/40 की कुल 5.024है0 अनकमाण्ड भूमि का आवंटन निरस्त होने के कारण रकबा राज दर्ज करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया।

(A) उपखण्ड अधिकारी घडसाना ने दिनांक 13.06.2017 को प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब करने के आदेश दिये।

(B) अप्रार्थी धारा सिंह ने 06.09.2017 को नोटिस के जबाब पेश कर कथन किया कि सुधीर कुमार की शिकायत को इस निर्देश के साथ वापिस लौटाने या खारिज किया जावे कि वह सक्षम न्यायालय में चाराजोही करे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(C) उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 23.10.2017 को आदेश जारी किया। उपखण्ड अधिकारी ने अपने आदेश में अंकित किया है कि आदेश दिनांक 16.02.82 की पालना में चक 2 एसजेएम–बी के मु.नं. 76/40 की 21.10 बीघा भूमि आराजीराज की जाती है।

(D) उक्त आदेश से व्यथीत होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

(i) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध पारित किया गया है। अपीलांट ने अधी. न्यायालय के समक्ष उक्त जैरकार पत्रावली के सम्बन्ध में एक मुन्तकिली प्रा. दिनांक 23.08.2017 को जिलाधीन श्रीगंगानगर के यहा प्रस्तुत कर दिया था और इस प्रा.पत्र के संबंधमें जबाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि पत्रावली मुन्तकिली हेतु प्रा.पत्र जिलाधीन श्रीगंगानगर के यहां प्रस्तुत किया हुआ है। शिकायत सम्बन्धी प्रा.पत्र जो धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की परिधि में आते है। शिकायत सम्बन्धी प्रकरणों का क्षेत्राधिकार अधी. न्यायालय को नहीं था। इसके बावजूद भी अधी. न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्त योग्य है। अतः निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश निरस्त की अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

(ii) विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपने बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश सही पारित किया है इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अपीलाधीन आदेश में वर्णित रकबा जो दिनांक 16.02.82 को खारिज हो चुका था उसकी एवज में अपीलांट को अन्य जगह पर रकबा आवंटित हो चुका था तो अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि आराजीराज की जाना उचित थी। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

(iii) विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत मामलें में उभयपक्षों की बहस व निर्णय उपखण्डधिकारी का अवलोकन किया:-

(a) धारासिंह पुत्र नत्थाराम जाति बावरी को दिनांक 27.08.80 को चक 2 एस.जे.एम.-बी के मु.नं. 76/40 के कि.नं. 1 ता 4, 6 ता 23 की कुल 21.10 बीघा भूमि भूमिहीन के तहत आवंटन हुई थी। जिसका तत्समय गिरदावरी में नोट अंकित है कि कब्जा दिया गया। तत्पश्चात दिनांक 16.02.82 को सहायक उपनिवेशन आयुक्त बीकानेर द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त कर दिया। उक्त आवंटन निरस्त का नोट नहीं लगने के कारण उक्त आराजी धारा सिंह के नाम गैर खातेदारी दर्ज चलती रही।

(b) दिनांक 16.02.82 के आदेश से ही उक्त खारिज रकबे की एवज में धारा सिंह को चक 1 के.एन.एम. द्वितीय-ए के मु.नं. 209/31 की 21.05 बीघा भूमि आवंटित की गई। जिसका प्रथम गिरदावरी नोट है कि 12.11.82 को कब्जा दिया और धारा सिंह को खातेदारी ई.सं. 11 दिनांक 25.04.96 को दी।

(c) आवंटी धारा सिंह द्वारा ई.सं. 84 दिनांक 20.09.12 से रजि0 गिफ्ट डीड द्वारा अपने ही पुत्रों को भूमि स्थानांतरित कर दी। तत्पश्चात आवंटी द्वारा तथ्यों को छिपाकर, मिथ्या व्यपदेशन कर धोखे से अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 5.12.2012 की पालना में दिनांक 6.12.2012 को समस्त किश्ते जमा करवा दी और दिनांक 3.01.13 को खारिज रकबे की खातेदारी सनद सं. 2962 जारी करवा ली।

(d) खातेदारी सनद जारी करने के पश्चात उपखण्ड अधिकारी घडसाना को इस आराजी के विषय में रेस्पों. द्वारा शिकायत की। उपखण्ड अधिकारी द्वारा शिकायत की जांच करने पर रेस्पों. की इस शिकायत को सही पाया। उपखण्ड अधिकारी ने नियम 21 के तहत उक्त रकबा निरस्त कर दिया।

(e) इस बीच अपीलांट को इस तथ्य की भनक लगने पर कि उपखण्ड अधिकारी उसका आवंटन निरस्त कर सकते हैं तो उसने जिलाधीश श्रीगंगानगर के समक्ष मुन्तकिल प्रा. पत्र लगा दिया।

(f) इस मामले में स्वयं अपीलांट धोखे से करवाये गये आवंटन से बचने के लिए अपील का कानूनी तर्क दे रहा है। उसका यह तर्क सही नहीं है। इतना ही नहीं अपीलांट ने उक्त कपटपूर्ण आवंटन के निरस्ती के आदेश के विरूद्ध एकतरफा स्थगनादेश भी प्राप्त कर लिया जो नितांत अनुचित है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(g) रेस्पों. के अधिवक्ता का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त आवंटन निरस्ती कार्यवाही The Rajasthan Col.(allotment & sale) Rules, 1975 के नियम 21 के दायरे में आती है से हम सहमत है। धारा 21 कहती है कि

If any time it is discovered that any allotment of land was made under these rules upon an incorrect statement of facts made by applicant in application or in the affidavit or any other document produced by an allotee, the allotting authority, may order cancellation of such allotment and may also order re entry upon and taking possession of land without payment of any compensation and the amount already paid shall be forfeited.

(h) इस मामलें में अपीलांट ने स्वयं अपने कथन में अपने कृत्य को स्वीकार किया है कि उसने गलत तथ्यों के व्यपदेशन द्वारा आवंटन कराया है। उसका यह कहना कि ऐसा आवंटन उपखण्ड अधिकारी द्वारा निरस्त करना क्षेत्राधिकार से बाहर है तथा ऐसा आवंटन निरस्त करना जिला कलक्टर के अधिकार में है। यह सिद्ध करता है कि उसका कृत्य नियम 21 की परिधि में भी आता है।

(i) हमारे मन्तव्य में आदेश दिनांक 16.02.82 की पालना में चक 2 एस.जे.एम.–बी के मु.नं. 76/40 की 21.10 बीघा भूमि आराजीराज करने के आदेश सम्बन्धी उपखण्ड अधिकारी की कार्यवाही विधिसम्मत व सही है। ऐसे मामलों में उपखण्ड अधिकारी नियम 21 के तहत कार्यवाही करने में सक्षम है। उपखण्ड अधिकारी स्वप्रेरणा से ऐसे कुटिल प्रकृति के व्यक्तियों जो धोखे में रखकर आवंटन करवाये के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है।

(j) उपरोक्त मामले में यह तथ्य भी विचारणीय है कि अपीलांट ने

(1) पहले तो वर्ष 1982 में हुए आवंटन चक 1 के.एन.एम.–द्वितीय–ए के मु.नं. 209/31 की 21.05 बीघा भूमि की खातेदारी 24.02.96 को लेकर दिनांक 20.09.12 को अपने ही तीन पुत्रों के नाम दानपत्र द्वारा अन्तरण कर दिया।

(2) तत्पश्चात पुनः 1982 के पूर्व में आवंटन चक 2 एस.जे.एम–बी के मु.नं. 76/40 की 21.10 बीघा भूमि जो जानबूझ कर या अनजाने राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण वर्ष 1982 से वर्ष 2013 तक राजस्व रिकार्ड में अपीलांट धारासिंह के नाम ही गैर खातेदारी दर्ज चली आती रही। वस्तुतः चूंकि इस चक में आवंटन का निरस्त करवा कर एवज में अपीलांट को अन्य चक 1 के.एन.एम.–द्वितीय–ए में वर्ष 1996 में ही खातेदारी प्राप्त कर ली थी।

(3) इस प्रकार अपीलांट ने पुनः धोखे से और राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही का लाभ उठा कर उपखण्ड अधिकारी को आवेदन देकर यह आदेश 05.12.12 प्राप्त किया कि " (चक 2 एस.जे.एम.) विवादग्रस्त आराजी यदि कोई विवाद न हा तो समस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

किश्ते जमा करा कर सूचित करे " जिसकी पालना में अपीलांट ने 06.12.12 को अर्थात जांच आदेश के दूसरे दिन ही समस्त राशि रूपये 25402/– जमा करा दिया। तत्पश्चात एक माह के भीतर यानि दिनांक 03.01.13 को खातेदारी सनद प्राप्त कर ली

(4) ऐसे मामले जिसमें अपीलांट ने एक ही तहसील कार्यालय में 1 वर्ष के भीतर धोखाधडी कर के आवंटन दान व पुनः आवंटन करा लिया हो से प्रतीत होता है जांच अधिकारी , रिपोर्ट अधिकारी, टी.आर.ए. , रिकार्ड शाखा किसी भी स्तर पर लापरवाही बरती गयी तथा यहां तक कि पूर्व आवंटन की जिसे खारिज होने के बाद पुनः आवंटन किया गया की मूल पत्रावली भी तलब नही की गई। यदि ऐसा होता तो आवंटन संभव नहीं था।

(5) उपरोक्त विवेचना से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचता है कि अपीलांट का आवंटन धोखे से कपटपूर्वक अनुचित लाभ उठाकर , राजकीय भूमि को हस्तगत करने के उद्देश्य से करवाया है, नितांत रद्द करने योग्य है। अपीलांट की अपील निरस्त करते हुए अपीलांट के इस कृत्य हेतु रूपये 10000/– कोस्ट लगाई जाती है। निर्णय की प्रति जिला कलक्टर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवायी जावे।

निर्णय दिनांक 08.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (श्रीगंगानगर)